भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE, JAMMU

CSIR-IIIM

संयोजक : सीएसआईआर–भारतीय समवेत औषध संस्थान, नहर मार्ग, जम्मू तवी–180 001 (भारत)

Convener : CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu Tawi - 180001 (INDIA)

दूरभाष : (0191) 2569000–06 फैक्स : (0191)–2569333, 2569023 Phones : (0191) 2569000 -06 Fax : (0191) 2569333, 2569023

E-mail : amarsingh@iiim.ac.in Website : www.tolicjammu.org

संख्या/No. नराकास/जम्मू/बैठक/2015–राभा. दिनांक/Dated : 10.07.2015

सेवा में,

नराकास, जम्मू के केन्द्रीय कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों के
अध्यक्षगण/राजभाषा अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक।

विषय:– दिनांक 30 जून, 2015 को हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की बैठक के कार्यवृत्त।

Subject:- **Minutes of the TOLIC, Jammu meeting held on 30th June, 2015.**

महोदय/महोदया,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की बैठक दिनांक 30 जून, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। कृपया बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित् करवाएं।

कार्यवृत्त पर यदि किसी सदस्य को कोई सुझाव देना हो अथवा उनकी कोई आपत्ति हो तो वह अपने सुझाव कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

Sir/Madam,

The minutes of the meeting of Town Official Language Implementation Committee, Jammu held on 30th June, 2015 at 3.00 PM in the Conference Hall of IIIM, Jammu are enclosed herewith. You are requested to necessary action on the decisions taken in the said meeting accordingly.

Objections/Suggestions, if any may be intimated to this office within two weeks.

धन्यवाद/Thank you,

भवदीय,

(डॉ. अमर सिंह)

सदस्य–सचिव

(मो.): 9858629580

संलग्न:– यथावर्णित **बैठक के कार्यवृत्त।**

प्रति:–

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू के कार्यालय प्रमुख।
2. उपनिदेशक (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए–149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023 ।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–01
4. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
5. संयुक्त सचिव (कार्या.), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–03
6. भारत की सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

संख्या: नराकास/जम्मू/बैठक/2015-राभा. दिनांक: 03.07.2015

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की छमाही बैठक दिनांक 30 जून, 2015 को सायं 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की छमाही बैठक दिनांक 30 जून, 2015 (मंगलवार) को अपराह्न 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक एवं नराकास अध्यक्ष डॉ. सुरेश चन्द्र ने की। इस अवसर पर श्री प्रमोद कुमार, उपनिदेशक (कार्या.) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय दिल्ली, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, श्री किशोर कुमार, महा प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, जम्मू, श्री डी.के.गौतम, निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जम्मू, श्री पंकज बहादुर, प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू, श्री उमंग मैनी, मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू, डॉ. शरत चन्द, सहाचार्य, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, श्री रणवीर परिसर कोट बलवाल, जम्मू तथा नगर जम्मू के केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों से आये सभी कार्यालय अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी/राजभाषा अधिकारी/नोडल अधिकारी/हिन्दी अनुवादक तथा प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त संवाददाता एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित कार्यालय प्रमुखों एवं सज्जनों का स्वागत डॉ. अमर सिंह, वरि. हिन्दी अधिकारी एवं सचिव, नराकास, जम्मू ने किया। उन्होंने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि इस बैठक में प्रथम अक्टूबर, 2014 से 31 मार्च, 2015 के दौरान प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा तथा आपके कार्यालय में राजभाषा हिन्दी में किये गये कार्यों की समीक्षा तथा इससे संबंधित आपके कार्यालयों में उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है, जिसके अनुसार हम कार्यालयों में राजभाषा के कार्य सम्पन्न करते हैं। चूंकि सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिन्दी का ही प्रयोग किया जाए। जिसके अन्तर्गत धारा 3(3) का हम सबको अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यही संविधान की मूलभावना के अनुरूप होगा। सभी भारतीय भाषाएं देश की एकता की प्रतीक हैं। भारतीय संविधान में जो प्रावधान किये गये हैं इन आदेशों/अनुदेशों का पालन करना चाहिए और महामहिम राष्ट्रपति जी के संकल्पों का सम्मान करना चाहिए।

तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ ही बैठक की कार्रवाई आरम्भ हुई। सचिव ने गत बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा के दौरान कहा कि सम्माननीय सदस्यों की कोई प्रतिक्रिया, सुझाव अथवा आपत्ति हो तो वे विचार रखें, लेकिन माननीय उपस्थित सदस्यों की ओर से कोई आपत्ति एवं प्रतिक्रिया न मिलने पर सचिव ने अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पर गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

गत बैठक में लिए गये निर्णय और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई इस प्रकार है:-

गत बैठक में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंच के माध्यम से दिनांक 09-10 जून, 2015 को भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के तत्वाधान में दो दिवसीय राजभाषा सम्मेलन/यूनिकोड/कंप्यूटर अनुप्रयुक्त प्रशिक्षण

कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू के डॉ. राम विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर श्री किशोर कुमार, महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय-I, श्री ओमप्रकाश, कार्यपालक निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू, श्री एन.ए. अजाद, शाखा प्रबंधक, स्टील अथॉर्टी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जम्मू, श्री रामानुज देवनाथन, प्राचार्य, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम्, जम्मू तथा नराकास के केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के सभी नोडल अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक/राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे। सभी के विचार व्यक्त करते हुए उनके सौजन्य से राजभाषा सम्मेलन/भाषा कौशल/कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। जिसमें नराकास, जम्मू के सभी सदस्य कार्यालयों के नोडल अधिकारी/राजभाषा अधिकारी/ हिन्दी अनुवादकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रतिभागियो को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह अध्यक्ष महोदय के कर कमलों द्वारा प्रदान किये गये। कार्यक्रम में व्याख्याता के रूप में श्री आर.एस. गौतम, उपनिदेशक (राजभाषा), एन.डी.आर.आई. करनाल (हरियाणा) से उपस्थित थे। अन्य वक्ताओं को कम्प्यूटर के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए स्लाइड पर प्रशिक्षण दिया।

नराकास, जम्मू के सदस्य कार्यालयों की गृह पत्रिकाएं जो वर्ष 2014-2015 में प्रकाशित की गयी जो इस प्रकार है:-

नराकास, जम्मू कार्यालय की गृह पत्रिका **'ज्ञानवार्ता' अंक-5**, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू की गृह पत्रिका **त्रिकुटा**, एनएचपीसी सलाल पावर स्टेशन, ज्योतिपुरम् की सामुदायिक विकास की ओर सीएसआर तथा आयकर कार्यालय, जम्मू की गृह पत्रिका **आयकर शिखर** राजभाषा गृह पत्रिकाएं प्रकाशित हुई।

तदोपरान्त प्रथम अक्टूबर, 2014 से 31 मार्च, 2015 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टो की समीक्षा का संक्षिप्त ब्यौरा सदस्य कार्यालयों के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टे की स्थिति इस प्रकार है:-

प्रथम अक्टूबर, 2014 से 31 मार्च, 2015 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा:-

केन्द्रीय कार्यालय

1. पुलिस महानिरीक्षक, सेक्टर मुख्यालय, के.रि.पु.बल
2. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक उत्तरी कमान
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र,के.रि.पु.बल
4. 135 बटालियन सीमा सुरक्षा बल
5. कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
6. 110वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
7. फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल
8. पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.रि.पु.बल जम्मू रेंज
9. 23 विंग वायु सेना
10. 53वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
11. 52वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
12. 121वीं बटालियन के.रि.पु.बल, कठुआ
13. पत्र सूचना कार्यालय
14. कार्यालय महालेखाकार (हकदारी)
15. भारतीय समवेत औषध संस्थान
16. रक्षा सम्पदा प्रधान निदेशालय
17. भारतीय सर्वेक्षण विभाग
18. 76वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल
19. 32वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
20. 152वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
21. कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल
22. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रचालन (जम्मू व कश्मीर)
23. मुख्य अभियंता सम्पर्क परियोजना
24. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान
25. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
26. राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय
27. रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय
28. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला, मीरा साहिब
29. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
30. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मीरा साहिब
31. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
32. क्षेत्रीय तसर अनुसंधान संस्थान
33. कोयला खान भविष्य निधि
34. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
35. डी.ओ.ई.ए.सी.सी.केन्द्र
36. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय प्रादेशिक कार्यालय
37. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान प.हिमालय क्षेत्रीय केन्द्र
38. कार्यालय आयकर आयुक्त (ज.व.क.) आयकर भवन, जम्मू/श्रीनगर
39. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
40. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय
41. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
42. केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय
43. विदेश व्यापार का कार्यालय
44. केन्द्रीय एकीकृत एवं नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र

45. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र
46. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान

बैंक

47. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्षे.का.,
48. भारतीय स्टेट बैंक (प्रशासनिक कार्यालय)
49. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
50. पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय जम्मू व कश्मीर
51. बैंक ऑफ बड़ौदा
52. आई.डी.बी.आई.बैंक, जम्मू

कारपोरेशन/निगम

53. एन.एच.पी.सी.लि.,दुलहस्ती पावर स्टेशन किस्तवाड
54. पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
55. भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डलीय कार्यालय
56. भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय
57. एन.एच.पी.सी.लि., कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-I)
58. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड
59. एअर इण्डिया लिमिटेड
60. दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि.मं.कार्या.-1
61. भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय
62. भारतीय प्रसारण निगम दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू
63. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
64. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस क.लि. मण्डल कार्यालय-II
65. हुडको कार्यालय, जम्मू
66. भारतीय प्रसारण निगम रेडियो कश्मीर
67. सलाल पावर स्टेशन एन.एच.पी.सी.लि.ज्योतिपुरम्
68. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

राजभाषा नीति कार्यान्वियन के लिए निम्नलिखित पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं:-

1. नराकास, जम्मू के सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार योजना-वर्ष 2015-16 भारत सरकार, गृह मत्रालय, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर विवरण उपलब्ध है।
2. राजभाषा विभाग की सूची सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तक की खरीद हेतु सूची नराकास, जम्मू की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय-I, दिल्ली के पत्र दिनांक दिसम्बर, 2014 पंत्राक सं. 19/3/सभी नराकास/2011-उक्षेकाका-1(दि.)/2006-2039 के द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यानाकर्षिक किया है। जिसमें राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन सुनिश्चित् किया गया। जो इस प्रकार है।

1. नराकास की बैठकों में केवल कार्यालय प्रमुख द्वारा ही भाग लिया जाए। संबंधित राजभाषा अधिकारी/अनुवादक प्रधान अधिकारियों की मदद के लिए बैठक में आ सकते हैं।
2. सभी कार्यालय अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टें अपने मुख्यालय (नियंत्रक कार्यालय समिति) नराकास सचिवालय को भेजना सुनिश्चित् करें।
3. उपरोक्त बिन्दु-3 में उल्लिखित तिमाही प्रगति रिपोर्ट गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वियन कार्या-1(दिल्ली), ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली को ऑन लाइन भेजी जाएं। ऑन लाइन रिपोर्ट भेजने के लिए पंजीकरण कराया जाए। पंजीकरण की जानकारी हेतु सदस्य कार्यालयों के लिए अल्पावधि की कार्यशाला का संचालन किया जाए।
4. सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वियन समितियां कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जाएं और इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से की जाए तथा बैठक की पूर्व सूचना तथा कार्यवृत्त भी इस कार्यालय को भिजवाएं।
5. कार्यालय को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करवाया जाए तथा हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को नियम 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में काम करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं।
6. सभी कार्यालयों द्वारा यह सूनिश्चित किया जाए कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं।
7. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए जाएं।

8. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जांच बिन्दु बनाए जाएं और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. कार्यालय में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मियों से हिन्दी में काम करवाना सुनिश्चित किया जाए और कार्यालय में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों पर हिन्दी में काम करने के लिए केवल यूनीकोड आधारित प्रणाली पर कार्य सुनिश्चित किया जाए।
10. नराकास स्तर पर प्रतिमाह किसी न किसी कार्यालय द्वारा किसी न किसी हिन्दी कार्यक्रम/प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को नराकास की अगली बैठक में पुरस्कृत किया जाए। नराकास द्वारा अपनी एक हिन्दी गृह पत्रिका भी निकाली जाए, जिसके लिए आवश्यकतानुसार प्रत्येक सदस्य कार्यालय से एक निश्चित अंशदान वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है।
11. किसी भी कार्यालय में हिन्दी का यदि कोई पद रिक्त हो तो रिक्त पदों को भरने की तत्काल कार्रवाई की जाए तथा हिन्दी के पदों को सृजन के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए न्यूनतम हिन्दी पदों संबंधी मानदंड के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी से संबंधित पदों का सृजन किया जाए तथा इन पदों को भरने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए।
12. राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में विहित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह कार्यक्रम राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है।
13. राजभाषा के कार्यान्वयन में जानबूझकर लापरवाही करने वाले तथा संवैधानिक प्रावधानों, महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों/कर्मचरियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है।
14. 'क' और 'ख' को भेजे जाने वाले सभी पत्रों के लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखें जाए।
15. कार्यालय की वेबसाइट को अनिवार्यत: द्विभाषी बनाने के प्रयास किए जाएं।
16. हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर कुल बजट का 50 प्रतिशत खर्च किया जाना अपेक्षित है। कृपया अपने-अपने कार्यालयों में अनिवार्यत: हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना करें।
17. कार्यालय द्वारा स्थानीय एवं अखिल भारतीय स्तर के सभी विज्ञापन द्विभाषी जारी किए जाए तथा हिन्दी व अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर बराबर खर्च किया जाए।
18. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण का सत्र अगस्त, 2015 से प्रारम्भ होगा। कृपया अपने-अपने कार्यालय से शेष कर्मचारियों को नामित करें। कार्यालय 33, कर्ण नगर, जम्मू से सम्पर्क करें।

बैठक में राजभाषा नीति कार्यान्वयन पर चर्चा एवं सदस्यों की प्रतिक्रियाएं उनके महत्वपूर्ण सुझाव जो इस प्रकार है:-

1. सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार हिन्दी शिक्षण योजना, 33 कर्ण नगर, जम्मू श्री विभूतिशरण सिन्हा, बैठक में उपस्थित नहीं थे सदस्यों का सुझाव था कि हिन्दी टाइपिंग जम्मू में प्रशिक्षण केन्द्र पर कंप्यूटर के माध्यम से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। सदस्य-सचिव डॉ. अमर सिंह ने कहा कि गत 15 वर्षो से सदस्य मांग करते आ रहे हैं कि हिन्दी टंकण प्रशिक्षण टाइप मशीनों के स्थान पर कंप्यूटर के माध्यम से दिया जाना चाहिए जबकि अब कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। सचिव ने कहा कि इस बारे में राजभाषा विभाग को पत्राचार किया जायेगा।
2. भारतीय रिजर्व बैंक के श्री सुनील कुमार, राजभाषा अधिकारी ने बताया कि समिति के तत्त्वावधान में जिन सदस्य कार्यालयों ने दिनांक 9-10 जून, 2015 के दौरान दो दिवसीय हिन्दी कंप्यूटर प्रशिक्षण

कार्यक्रम के आयोजन में अपना सक्रिय योगदान दिया उनका हम तहे दिल से सुक्रिया अदा करते हैं। समिति के सभी हिन्दी अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित हुए और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हम भी अपने बैंक की तरफ से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगे जिसमें सभी को आमंत्रित किया जायेगा। यदि ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो हम अपना योगदान करेंगे।

3. हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापक श्री आर.एल.मीणा ने बताया कि सभी कार्यालयों में यदि हिन्दी प्रशिक्षण के लिए जिसमें प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ के प्रशिक्षण हेतु यदि सदस्य कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारी शेष हैं तो वे हमारे कार्यालय को अपने नामांकन भिजवाएं, यह प्रशिक्षण 13 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ होने जा रहा है।
4. पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू के प्रबंधक राजभाषा, श्री जगदीश लाल बंगोत्रा ने बताया कि यदि सदस्य कार्यालयों की तरफ से हिन्दी प्रशिक्षण एवं यूनिकोड की समस्या है तो वे उनके समस्याओं के निवारण हेतु हमारे प्रयास हैं कि वे हमारी सेवाएं ले सकते हैं।
5. सदस्य-सचिव डॉ. अमर सिंह ने कहा कि समिति के तत्वावधान में हिन्दी कंप्यूटर प्रशिक्षण समिति के सदस्यों के सहयोग से जारी रहेंगे साथ ही इस छमाही के दौरान एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव है। यदि उपस्थित सदस्य अपना योगदान देना चाहें तो दिसम्बर, 2015 के द्वितीय सप्ताह में यह कार्यक्रम किया जा सकता है। जिसके लिए अध्यक्ष महोदय से सहमति ली जाएगी। जबकि हिन्दी के प्रगति में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है।
6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली) से बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन के संबंध में अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी कार्यान्वयन को आधुनिक तकनीक के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। जिसमें आई.टी. टूल्स की समस्या लीला प्रबोध, मंत्रणा के माध्यम से हिन्दी सीख सकते हैं। अनुवाद के मंत्रा सोफ्टवेयर को डाउनलोड किया गया है जिसमें श्रुलतलेखन संबंधी सोफ्टवेयर राजभाषा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिसके माध्यम से टाइपिंग में सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टे प्राप्त नहीं हो रही है। कृपया वे कार्यालय ऑनलाइन रिपोर्टे भेजना सुनिश्चित करें साथ ही यूनिकोड पर कार्यशालाएं भी आयोजित करने के प्रयास करें।
7. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम्, जम्मू के आचार्य, श्री सरतचन्द ने अपने विचार व्यक्त करते हुए हिन्दी कार्यान्वयन को उपयोगी बताते हुए कहा कि दैनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम अपनी मानसिकता को बदलते हुए अपने राजभाषा हिन्दी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायें।
8. भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू के महाप्रबंधक श्री किशोर कुमार ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी के कार्यान्वयन के विषय में किये गए प्रयासों को संक्षेप में बताया कि वे प्रत्येक तिमाही में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जम्मू/श्रीनगर दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है और उनके क्षेत्रीय कार्यालय से छः स्टॉफ सदस्य प्रशिक्षण ले रहे हैं। समिति कार्याल्य के द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव आया हमने सहयोग प्रदान किया और आगे भी राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु प्रयास जारी रहेंगे।
9. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जम्मू के निदेशक, श्री डी.के.गौतम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और अपने अपने कार्यालयों में भारत सरकार की नीतियों के अनुसार हिन्दी में काम करना चाहिए।

हिन्दी कार्यान्वयन के प्रति एक भावना जागृत करें और हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ायें। अन्त में उन्होंने नराकास, जम्मू कार्यालय को बैठक के सफल आयोजन के लिए अपना आभार व्यक्त किया।

10. पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू के मुख्य प्रबंधक, श्री उमंग सैनी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां मुझे पहली बार आने का अवसर मिला है और प्रत्येक देश अपनी-अपनी भाषाओं में कार्य करते हैं। जिसमें जर्मन, फ्रांस ऐसे देश हैं जो अपनी भाषाओं से निकटता रखते हैं। हमें भी अपने देश में हिन्दी के प्रति स्नेह रखना चाहिए।

11. संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सुरेश चन्द्र ने बैठक में उपस्थित केन्द्रीय कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों के सभी कार्यालय प्रमुखों एवं उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अपने संस्थान की ओर से व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मंच से स्वागत करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि हिन्दी हमारे भारत की प्रमुख भाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हिन्दी हमारे सम्मान की प्रतीक है और यह एक अरब पच्चीस करोड़ भारतीयों की भाषा है। हिन्दी का प्रयोग भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी सहज रूप से हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हिन्दी ही एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि जब भारत का संविधान बना था तो यह मांग की गयी थी कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन डॉ. भीमराव अम्बेडकर इस बात पर सहमत नहीं हुए उनका स्पष्ट मत था कि हिन्दी देश की सर्वोपरि भाषा है। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प स्वीकार नहीं होगा। भारत गाँव का देश है हमारे देश का प्रत्येक भारतीय हिन्दी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं और हिन्दी आज इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया की प्रमुख भाषा है तथा विज्ञान को भी इसके माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए हम सबको अपना चिन्तन एवं मानसिकता को बदलना है। तभी देश में विज्ञान की प्रगति सम्भव है। उन्होंने सभी का हृदय से आभार सहित धन्यवाद किया।

अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी, श्री पंकज बहादुर ने बैठक में अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित नराकास जम्मू के सभी केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों एवं नगर के प्रिन्ट व इलैक्ट्रानिक मीडिया के सभी संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक में दूरदर्शन तथा मीडिया का सदैव सहयोग रहा है और बैठक के आयोजन में संस्थान के सभी संकाय सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया। प्रबंधन के लिए संस्थान के वरि. हिन्दी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, डॉ. अमर सिंह तथा समस्त स्टॉफ सदस्यों का आभार सहित धन्यवाद किया।

सुरेश चन्द्र

डॉ. सुरेश चन्द्र
कृते अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

डॉ. अमर सिंह
सदस्य-सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू